

अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-प0नि0 30-171/2021- 2431
प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
—सह—
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

पटना, दिनांक- 29 जून, 2021

विषय :- EVM संग्रह हेतु जाने वाले दलों के RTPCR REPORT के संबंध में।
प्रसंग:- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक 2421 दिनांक 29.06.2021
महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न जिलों से EVM संग्रह हेतु आदेश निर्गत है। उक्त आदेश की प्रति संबंधित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित है, जिसके आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उड़ीसा द्वारा सूचित किया गया है कि EVM प्राप्ति हेतु आने वाले दल का RTPCR REPORT NEGATIVE एवं दल के साथ होना अनिवार्य है।

उक्त स्थिति में निदेश है कि EVM संग्रह हेतु दलों को भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उस राज्य में, जो राज्य आपको आवंटित है उसमें प्रवेश हेतु/EVM प्राप्ति हेतु RTPCR REPORT अनिवार्य है अथवा नहीं। उक्त रिपोर्ट की अनिवार्यता की स्थिति में EVM संग्रह दल का RTPCR जाँच कराकर REPORT के साथ ही दल को भेजा जाये। इस संबंध में सम्बद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग/सम्बद्ध जिला के जिला पदाधिकारी से सम्पर्क किया जाये।

विश्वासभाजन,


सचिव।

पटना, दिनांक- 29 जून, 2021

ज्ञापांक प0नि0 30-171/2021 2431
प्रतिलिपि: श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव। 29/06/21